न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 33/2018 (2018/00082) वाद पत्र

उनवान

1—कलमादेवी पत्नी अम्बालाल खटीक निवासी मासिंगपुरा तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1—भूरा पिता नाथू बलाई निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2—भीलवाडा अजमेर क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा मौखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — **अधिवक्ता वादीया**

निर्णय

दिनांक 09.05.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खातेदार बेणा, भूरा पिता नाथू बलाई निवासी मासिंगपुरा के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की साबिक आराजी संख्या 163 व साबिक आराजी संख्या 164 कुल रकबा साडे तीन बीघा भूमि अन्य आराजियात के साथ साबिक खाता संख्या 157 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 तक प्रस्तुत है। उक्त दोनों साबिक आराजियात तत्कालीन खातेदार से वादीया के पति अम्बालाल पिता चम्पालाल खटीक ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 29/04/2002 को क्रय की वक्त क्रय से ही उक्त वर्णित आराजियात पर वादीया काबिज होकर कास्त करती चली आ रही है। विक्रय के पश्चात सेटलमेन्ट हुआ जिससे साबिक आराजी संख्या 763 व 764 के नवीन नम्बर 1088 रकबा 0.49 है0 आराजी संख्या 1089 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 कायम हुये क्रय के पश्चात वादीया के पति अम्बालाल के नाम पर उक्त क्रय शुदा भूमि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 683 दिनांक 08.07.2002 से दर्ज हुई प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2058 प्रस्तुत है। वादिया के पति अम्बानलाल द्वारा क्रय की गई नवीन आराजी संख्या 1088 व 1089 तनहा रूप से उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई लेकिन रोटेसन जमाबन्दी सवतं 2062 में उक्त दोनो आराजियात पूर्व खातेदार भुरा पिता नाथु बलाई के नाम पर दर्ज हो गई जिसका वर्तमान में उक्त आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 2 के रहन का इन्द्राज है खातेदार बेण लाऔलाद फोथ हुआ जिससे उसकी विरासत प्रतिवादी संचया 1 के नाम पर दर्ज हुई वादिया के पति अम्बालाल की मृत्यु हो चुकी है तथा वादिया उसकी विधिक उत्तराधिकारी है राजस्व कर्मग्चारियो ने बिना किसी विधिक आदेश के क्रय शुदा आराजी को पुनः विक्रेता खातेदार के नाम पर दर्ज कर दी है। जिसका उन्हें कोई अधिकार या आदेश नहीं है वादीया उक्त क्रय शुदा नवीन आराजी संख्या 1088, 1089 किता 2 रकबा 0.76 है0 को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की एवं खातेदार कास्तकार घोषित होने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीया ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या एक को उक्त भूमि का इन्द्राज अपने नाम पर करवाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी हरबार टालमटोल करता रहा तथा प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त भूमि पुनः प्रतिवादी संख्या 2 के रहन कर दी वादीया ने अंतिम बार दिनांक 15.03.2018 को रहन का दाखिला हटवाने बाबत् एवं भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने को कहा लेकिन प्रतिवादी इन्कार हो गया जिससे विवश होकर वादीया को यह वाद प्रस्तुत करना पडा है। बिनाय वाद दिनांक 15.03.2018 से निरंतर जारी है और यह वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर वर्तमान में भूमि दर्ज रेकार्ड होने से एवं प्रतिवादी संख्या 2 के रहन का इन्द्राज उक्त वर्णित भूमि पर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 33 / 2018 (2018 / 00082) वाद पत्र

उनवान

1–कलमादेवी पत्नी अम्बालाल खटीक निवासी मासिंगपुरा तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1–भूरा पिता नाथू बलाई निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–भीलवाडा अजमेर क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा मौखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ग्राम मासिंगपुरा तहसील रायपुर की नवीन आराजी संख्या 1088, 1089 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हे0 की वादिया तन्हा खातेदार कास्तकार है इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादिया का नाम खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जान`एवं रहन का इन्द्राज यथावथ रखने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

यह आज तारीक 09.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा